राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या ....700/2015.. जिला : अजमेर..........

उनवान– मैसर्स बालाजी मिनिकेम, ब्यावर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, ब्यावर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य**	
15.10.2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत ब्यावर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 23 के तहत् पारित किये गये, कर निर्धारण वर्ष 2008–09 में रूपये 9,53,000/– की मांग सृजित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त मांग के विरूद्ध रोक आवेदन प्रार्थना पत्र मय अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी ने उक्त रोक आवेदन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र में रू0 9,53,000/– को विवादित किया है। अपीलार्थी के अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ.पी.माहेश्वरी ने रोक प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की तथा अपने तर्क के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित अपील संख्या 630 से 632/2015/बीकानेर निर्णय दिनांक 21.07.2015 तथा एकलपीठ द्वारा पारित अपील संख्या 693/2015/अजमेर निर्णय दिनांक 13.08.2015 आदि न्यायिक दृष्टान्त पेश किये तथा आई.टी.सी. वेट–7 प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री जमील जई ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षों की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों एवं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन करने के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में अवशेष बकाया शेष वसूली योग्य मांग राशि रू0 9,53,000/– की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 15-10-2015 (ईश्वरी लाल वर्मा)	